रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 4 अक्तूबर, 1988/12 आश्विन, 1910

हिमाचल प्रदेश सरकार

AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th August, 1988

No. Agr. A (4)-9/86.—In continuation of this Department notification of even number, dated the 16th August, 1988, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that the terms and conditions for the payment of TA/DA in respect of Non-official Members of the Himachal Pradesh Marketing Board will be as per Annexure "A".

The expenditure on this account is to be borne by the Himachal Pradesh Marketing Board.

2132-राजपत्र/88-5-10-88—1,232.

मूल्य : 20 पैसे ।

ANNEXURE "A"

1. *T. A. & D. A. To Non-official Members of the Board.*

1. *Travelling Allowance:*—(*i*) *Journey by rail.*—They will be treated at par with Government servants of the first grade, and will be entitled to actual rail fare of the class of accommodation actually used but not exceeding the fare in which the Government servants of the first grade are normally entitled, *i. e.* accommodation of the highest class by whatever name it may be called provided in the railway by which the journey is performed.

(*ii*) *Journey by road.*—They will be entitled to actual fare for travelling by taking single seat in a public bus, and if the journey is performed by motor cycle/scooter, mileage allowance at 60 paise per km. for plain areas and 80 paise per km. in hilly areas, or if journey is performed by full taxi/own car, the member will be entitled to mileage allowance at Rs. 2.00 per km. in respect of journeys in the plains and Rs. 2.50 per km. in the hills.

(*iii*) In addition to the actual fare of mileage as per item (*i*) & (*ii*) above, member shall draw daily allowance for the entire absence from his permanent place of residence beginning with departure from the place and ending with return to that place, at the same rate subject to the same terms and conditions as apply to Grade-I officers of the State Government.

2. *Daily Allowances.*—(*i*) Non-official members will be entitled to draw daily allowance for each day of the meeting at the highest rates as admissible to a Government servant of the first grade for respective locality.

(*ii*) In addition to daily allowance for the day(s) of the meeting, a member shall also be entitled to daily allowance for halt on tour and out-station in connection with the affairs of the Committee as under:—

(*a*)	If the absence from headquarters does not exceed 6 hours	.. Nil.
(*b*)	If the absence from headquarters exceed 6 hours but does not exceed 12 hours	.. 70%.
(*c*)	If the absence from headquarters exceed 12 hours	.. Full.

3. *Conveyance Allowance.*—A member, resident at a place where the meeting of the Committee is held will not be entitled to travelling and daily allowance on the scales indicated above, but will be allowed only the actual cost of conveyance hire, subject to maximum of Rs. 10.00 per day. Before the claim is actually paid for, the Controlling Officer should verify the claims and satisfy himself after obtaining such details as may be considered necessary, that the actual expenditure was not less than the amount claimed.

If such a member uses his own car, he will be granted mileage allowance, at the rates admissible to officers of the first grade subject to a maximum of Rs. 10.00 per day.

4. The members will be eligible for travelling allowance for the journey actually performed in connection with the meetings of the Committee, from and to the places of their permanent residence to attend a meeting of the Committee or return to the place other than the place of his permanent residence after the termination of the meeting. Travelling allowance shall be worked out on the basis of the distance actually

travelled or the distance between the place of permanent residence at the venue of the meeting whichever is less.

5. The provision of rules 4.17 & 6.1 of the Himachal Pradesh Treasury Rules will apply *mutatis mutandis* in the case of over payment made on account of travelling allowance to non-official members.

6. *Official members.*—The official members shall be entitled to the travelling and daily allowance admissible to them according to the rules governing them.

By order,
Sd/-
Financial Commissioner-cum-*APC.*

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 सितम्बर, 1988

संख्या 5-1/70 कोप (एस)-ii.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश वेयर हाऊस ऐक्ट, 1976 की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग की अधिसूचना संख्या 5-1/70-कोप-ii, तारीख 13 अगस्त, 1987 द्वारा तारीख 1 दिसम्बर, 1987 के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित, हिमाचल प्रदेश भाण्डागार नियम, 1987 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भाण्डागार (संशोधन) नियम, 1988 है।

(2) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 10 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश भाण्डागार नियम, 1987 (जिसको इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में शब्द "की" तथा शब्द "संसूचना" के बीच शब्द "भाण्डागार-पाल को" अन्त: स्थापित किए जाएंगे।

3. नियम 19 का संशोधन.—उक्त नियमों के नियम, 19 में शब्द "के लिए" के स्थान पर शब्द "समय से" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

आदेश द्वारा,
एस0 एस0 सिद्धू,
सचिव।

[*Authoritative English text of Government notification number* 5-1/70-*Co-op* (*S*)-*Vol. II, dated* 23-9-88 *is hereby published in the Rajpatra, Himachal Pradesh as required Article* 348(3) *of the Constitution of India*].

CO-OPERATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd September, 1988

No. 5-1/70-Co-op. (S)-Vol. II.—In exercise of the powers conferred by section 35 of th Himachal Pradesh Warehouse Act, 1976, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following amendments in the Himachal Pradesh Warehouses Rules, 1987 published in the Rajpatra. Himachal Pradesh, dated 1st December, 1987 *vide* this department notification No. 5-1/70-Co-op (S)-II, dated the 13th August, 1987, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Warehouses (Amendment) Rules, 1988.

(2) These rules shall come into force at once.

2. *Amendment of rule* 10.—In rule 10 of the Himachal Pradesh Warehouses Rules, 1987 (hereinafter called the "said rules") after the words "such orders", the words "to the warehouseman" shall be added,

3. *Amendment of rule* 19.—In rule 19 of the said rules, between the words "from" and "making" the words "the time of" shall be inserted.

4. *Amendment of rule* 22.—In clause (*d*) of sub-rule (1) of rule 22 of the said rules, for the existing words "constructed" and "a round" the words "stacked" and "around" respectively shall be substituted.

By order,
S. S. SIDHU,
Secretary.

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002

संख्या 11/6/67-गृह (ए).—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मैनोवर फील्ड फायरिंग एवं आरटिलरी प्रैक्टिस अधिनियम, 1938 (1938 का पांचवा अधिनियम) की धारा 9 की उप-धारा (3) क अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (4) में अपेक्षित है इस अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) के अधीन उन क्षेत्रों म जोकि हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 11-6-67 गृह (ए) भाग-II दिनांक 3-5-88 जोकि राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में 18 जून, 1988 के अंक में प्रकाशित हुई थी निर्दिष्ट किए गए हैं, में निम्नलिखित अवधि क दौरान पूर्व परिभाषित क्षेत्र में फील्ड फायरिंग तथा आरटिलरी अभ्यास

करने हेतु प्राधिकृत करने के निश्चय को सरकारी राजपत्र में इस आशय की अधिसूचना उन लोगों की सूचना हेतु जोकि इस के द्वारा प्रभावित होना सम्भावित हैं, सहर्ष प्रकाशित करते हैं ।

सितम्बर, 1988	अक्तूबर, 1988	नवम्बर, 1988
6 से 8 तक	3 से 5 तक	1 से 3 तक
12 से 14 तक	7 से 8 तक	7 से 8 तक
15 से 16 तक	11 से 13 तक	10 से 12 तक
20 से 22 तक	17 से 18 तक	15 से 17 तक
27 से 29 तक	20 से 22 तक	21 से 23 तक
	25 से 26 तक	25 से 26 तक
	28 से 31 तक	29 से 30 तक

दिसम्बर, 1988	जनवरी, 1989	फरवरी, 1989
1 से 3 तक	2 से 7 तक	2 से 4 तक
6 से 8 तक	9 से 14 तक	7 से 8 तक
12 से 13 तक	16 से 21 तक	10 से 11 तक
15 से 17 तक	23 से 25 तक	13 से 15 तक
20 से 22 तक	30 स 31 तक	17 से 18 तक
26 स 27 तक		20 से 22 तक
28 से 30 तक		24 से 25 तक

मार्च, 1989	अप्रैल, 1989	मई, 1989
2 से 4 तक	3 से 5 तक	1 से 3 तक
7 से 8 तक	7 से 8 तक	5 से 6 तक
10 से 11 तक	10 से 11 तक	8 से 9 तक
13 से 14 तक	13 से 14 तक	11 से 12 तक
16 से 17 तक	17 से 18 तक	15 से 17 तक
27 से 28 तक	20 से 21 तक	16 से 20 तक
30 से 31 तक	24 से 25 तक	22 से 23 तक
	27 से 28 तक	25 से 27 तक
		29 से 30 तक

जून, 1989
1 से 3 तक
6 से 8 तक
12 से 14 तक
17 से 20 तक
22 से 24 तक
26 से 27 तक
29 से 30 तक

आदेश द्वारा,
कंवर शमशेर सिंह,
आयुक्त एवं सचिव ।

उद्यान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 फरवरी, 1988

संख्या उद्यान-क(3) 4/81-II.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, लोक सेवा आयोग हिमाचल प्रदेश की सहमति से हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग में अतिरिक्त निदेशक उद्यान श्रेणी-I (राजपत्रित) वेतनमान रुपये 2300—2500 पद के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम जो इस विभाग की अधिसूचना सं0 उद्यान-क (3) 4/81-II, दिनांक 3-9-87 द्वारा अधिसूचित किए गए थे को निष्प्रभावित करते हुए इस अधिसूचना में संलग्न (अनुबन्ध-II) के अनुसार अतिरिक्त निदेशक वर्ग प्रथम (राजपत्रित) के भर्ती एवं पदोन्नति नियम सहर्ष बनाते हैं ।

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इसके आगे इस विभाग द्वारा इस पद के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम अधिसूचना सं0 25-5/69-होर्ट (मैक्ट), दिनांक 19-12-71 तथा समय-समय पर इन नियमों में किए गए संशोधन अधिसूचित को निरसन करने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं बशर्ते कि यह निरसन पहले बनाए गए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अन्तर्गत हुई कार्यवाही पर असर नहीं डालेगा या उन नियमों के अन्तर्गत की गई कार्यवाही उन नियमों के अनुसार मान्य होगी ।

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) यह नियम हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग के वर्ग प्रथम (राजपत्रित) सेवाएं नियम, 1988 कहलायेंगे ।

(2) यह नियम हिमाचल प्रदेश सरकार के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे ।

अनुबन्ध-II

हिमाचल प्रदेश सरकार, उद्यान विभाग में श्रेणी-I (राजपत्रित) सेवाएं नियम, 1988

1. पद का नाम	अतिरिक्त निदेशक उद्यान ।
2. पद की संख्या	एक
3. वर्गीकरण	श्रेणी-I (राजपत्रित) ।
4. वेतनमान	रुपये 2300—2500 ।
5. क्या पद प्रवरण अथवा अप्रवरण है ?	प्रवरण ।
6. सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा	45 वर्ष तथा इस से कम :

उपबन्धित है कि सीधी भर्ती के लिये अधिकतम आयु सीमा उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगी जो पहले ही तदर्थ या अनुबन्ध के आधार पर सरकारी सेवा में कार्यरत हों :

आगे उपबन्धित है कि तदर्थ या अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त उम्मीदवार यदि नियुक्ति तिथि की अधिकतम आयु सीमा पार कर गया हो, तो उसे निर्धारित आयु सीमा म उस आधार पर छूट नहीं दी जायेगी:

आग उपबन्धित है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों क उम्मीदवारों तथा अन्य वर्गों क व्यक्तियों क लिय उच्चतम आयु सीमा में देय छूट उतनी है, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार क सामान्य अथवा विशेष आदेशों के अन्तर्गत अनुमत है :

	आगे उपबन्धित है कि सार्वजनिक क्षेत्र में निगमों तथा स्वायत निकायों के लिए सभी कर्मचारियों को जो इन सार्वजनिक क्षेत्र के निगम तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय इनमें अन्तर्लीत होने से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, की भी सरकारी कर्मचारियों की भांति सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट होगी । इस प्रकार की छूट सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों तथा स्वायत निकायों के उन कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं होगी जो उक्त निगमों, स्वायत निकायों द्वारा बाद में भर्ती किये गये थे/हों, और इन सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के बाद अन्तिम रूप से इन निगमों/स्वायत निकायो में अन्तर्लीत हो गये हों । टिप्पणी—1. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा, आयोग द्वारा आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए निश्चत अन्तिम तिथि गिनी जायेगी । 2. सीधी भर्ती की स्थितियों में अन्यथा विशिष्ट योग्यता प्राप्त उम्मीदवार के लिये आयु सीमा तथा अनुभव से सम्बन्धित योग्यताओं में आयोग के विवेकानुसार छूट देय होगी ।
7. सीधी भर्ती के लिये कम से कम शैक्षणिक योग्यता तथा अनिवार्य अन्य आवश्यक योग्यतायं ।	अनिवार्य : (i) उद्यान में एम0 एस0 सी0 तथा इसके साथ पोमोलोजी में विशेषता या इसके समकक्ष । (ii) पहाड़ी क्षेत्र के उद्यान विकास में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव तथा इसके साथ प्रशासनिक उत्तरदायी पद पर 5 वर्ष का अनुभव । वांछनीय : हिमाचल प्रदेश के रीति-रिवाज, भाषा और सस्कृति का ज्ञान तथा प्रदेश की विशेष परिस्थितियों में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।
8. क्या आयु व शैक्षणिक योग्यता जिसका वर्णन सीधी भर्ती के लिये किया गया है पदोन्नति के लिये भी लागू होगी ?	आयु : नहीं । शैक्षणिक योग्यता : लागू होगी ।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि जिसको कि सक्षम प्राधिकारी के लिखित आदेश द्वारा विशेष परिस्थितियों में अधिकतम केवल एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है ।
10. भर्ती की प्रणाली क्या सीधी अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न ढंगों द्वारा रिक्त स्थानों को भरने की प्रतिशतता ।	पदोन्नति अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा ।
11. पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के मामले पर वह वेतनमान जिसमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है ।	संयुक्त निदेशक उद्यान/परियोजना निदेशक में से पदोन्नति द्वारा तथा कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा श्रेणी-I अधिकारी के रूप में विभाग में की हो, और नियमित नियुक्ति के पूर्व यदि कोई 31-12-83 तक अपेक्षित पद पर तदर्थ

सेवा की गई हो या 5 वर्ष की नियमित सेवा श्रेणी-I (जिसमें 31-12-83 तक की गई तदर्थ सेवा शामिल हो) तो पदोन्नति के लिये निर्धारित कार्यकाल अवधि में ऐसी सेवा की अवधि गिनी जायेगी ।

पदोन्नति के लिये पात्र संयुक्त निदेशक उद्यान/परियोजना निदेशक की संयुक्त वरिष्ठता सूची नियमित/तदर्थ सेवा जो कि 31-12-83 तक की हो के आधार पर तैयार की जायेगी ।

टिप्पणी 1.—पदोन्नति के सभी मामलों में नियमित नियुक्ति से पूर्व यदि कोई 31-12-83 तक अपेक्षित पद पर कार्य सेवा की गई हो तो पदोन्नति के लिये निर्धारित कार्यकाल अवधि म ऐसी सेवा की अवधि को गिना जायगा जैसा कि नियमों में निर्धारित है बशर्ते कि :—

(क) उपरोक्त शर्तों को मध्यनजर रखते हुये सभी मामलों पर जो सेवा की एक कनिष्ठ प्रत्याशी 31-12-83 तक की गई तदर्थ सेवा को मिला कर पदोन्नति के लिय योग्य हो जाता है तो वह सभी प्रत्याशी जो तत्सम्बन्धी वर्ग-संवर्ग में इससे वरिष्ठ होंगे वह सभी विचारणीय होंगे तथा कनिष्ठ प्रत्याशी से वरिष्ठ समझे जायेंगे :

उपबन्धित है कि वे सभी प्रत्याशी जो पदोन्नति हेतु विचाराधीन हों वे कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम सरकारी सेवा अवधि या भर्ती एवम् पदोन्नति नियमानुसार जो भी निर्धारित सेवा की अवधि हो, दोनों में से जो भी कम हो रखते हों :

आगे उपबन्धित है कि यदि कोई कर्मचारी/प्रत्याशी पदोन्नति के लिय उपरोक्त उपबन्धों के अनुसार अनुपयुक्त/अयोग्य पाया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उससे कनिष्ठ प्रत्याशी भी पदोन्नति के लिये अयोग्य समझे जायेंगे ।

(ख) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों के लिये भी 31-12-83 तक की गई तदर्थ सेवा नियमित नियुक्ति से पहले यदि कोई हो तो ऐसी सेवा को कार्यकाल अवधि में जोड़ा जायेगा : उपबन्धित है कि इस प्रकार तदर्थ सेवा समिलित करकें स्थाईकरण करनें पर भी परस्पर वरिष्ठता म परिवतन न आने पायें ।

(ग) 31-12-83 के उपरान्त की गई तदर्थ सेवा को स्थाईकरण या पदोन्नति के लिये नहीं गिना जायेगा ।

टिप्पणी 2. —जब कभी नियम 2 के अधीन पदों की संख्या में वृद्धि की जाती है तो सरकार

	द्वारा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से नियम 10 तथा 11 के उपबन्धों में संशोधन किये जायेंगे ।
12. यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो इसकी संरचना क्या है ?	जैसा कि समय-समय पर सरकार द्वारा गठित की जायेंगी
13. परिस्थितियां जिसमें भर्ती के लिये हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जायेगा ।	जैसा कि विधि के अधीन अपेक्षित है ।
14. सीधी भर्ती के लिये आवश्यक योग्यतायें	उपर्युक्त या पद सेवा के लिये उम्मीदवार का निम्न-लिखित का होना आवश्यक है :— (क) भारतीय नागरिक, या (ख) नेपाल की प्रजा, या (ग) भूटान की प्रजा, या (घ) विस्थापित तिब्बती जोकि 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थायी निवास के उद्देश्य से आया हो; या (ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका, संयुक्त गणतन्त्र कीनिया, युगांडा, तंजानिया (इससे पूर्व तांगानिका और जंजीबार), जांबिया, मालावी, जेयरे तथा इथोपिया से भारत में स्थाई रूप से रहने के उद्देश्य से आया हो : उपबन्धित है कि वर्ग (ख), (ग), (घ) और (ङ) से सम्बन्धित वही प्रत्याशी माना जायेगा जिसको भारत सरकार/राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया हो, प्रत्याशी माना जायगा जिसके बारे में पात्रता का प्रमाण-पत्र अनिवार्य हो, को भी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा आयोजित साक्षात्कार या किसी परीक्षा में बैठने की आज्ञा दी जा सकती है परन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पात्रता का आवश्यक प्रमाण-पत्र मिलने के बाद ही दिया जायेगा ।
15. सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु चयन	सीधी भर्ती की स्थिति में इन पदों हेतु नियुक्ति के लिये चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर यदि आयोग/भर्ती प्राधिकारी अथवा उचित समझे तो लिखित परीक्षा अथवा व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि आयोग/भर्ती प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।
16. आरक्षण	उक्त सेवा में नियुक्ति अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/पिछड़े वर्गों के अन्तर्गत चयनित परिवारों इत्यादि के लिये सेवाओं में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आरक्षण सम्बन्धी आदेशों के अधीन होगी ।
17. शिथिल करने की शक्ति	जहां पर प्रदेश सरकार का यह मत हो कि यह करना जरूरी है या इस तरह से करना है तो उनके कारणों को अंकित कर के हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के

परामर्श से लिखित आदेश प्राप्त कर के किसी श्रेणी, वर्ग, व्यक्तियों या पद के नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दी जा सकती है ।

18. विभागीय परीक्षा

(i) सेवा के प्रत्येक सदस्य को विभागीय परीक्षा नियम के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि या इन नियमों की अधिसूचना के दो वर्ष के भीतर जो भी बाद में हो, विभागीय परीक्षा को पास करना होगा, अन्यथा वह निम्नलिखित का पात्र नहीं होगा:—

(क) आगामी देय दक्षतारोध पार करने के लिए,

(ख) सेवा में स्थाईकरण,

(ग) आगामी उच्च पद में पदोन्नति :

उपबन्धित है कि यदि एक सदस्य उपर्युक्त अवधि के भीतर पदोन्नति के लिए अन्यथा पात्र बन जाता है, उस की पदोन्नति के लिए विचार अन्यथा किया जाएगा और यदि अन्यथा उपर्युक्त पाया जाए, इस विभागीय परीक्षा को पास करने की शर्त पर अस्थायी पदोन्नत कर दिया जाएगा। यदि वह इसे पास करने में असफल रहता है तो उसे पदावनत किया जा सकता है :

आगे यह भी उपबन्धित है कि अधिकारी जिसने विभागीय परीक्षा को इन नियमों की अधिसूचना से पहले किन्हीं अन्य नियमों के अधीन पूरी या आंशिक रूप से पास कर लिया है, उसे पूरी या आंशिक परीक्षा, जैसी भी स्थिति हो, पास करनी अपेक्षित नहीं होगी :

आगे उपबन्धित है कि यदि किसी अधिकारी के लिए इन नियमों के अधिसूचित होने से पहले कोई विभागीय परीक्षा निर्धारित नहीं थी और वह अधिकारी 1 मार्च, 1976 को 45 वर्ष की आयु पार कर चुका हो तो उसे नियमों के अधीन निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करनी आवश्यक नहीं होगी ।

(ii) किसी अधिकारी को उसकी सीधे पदोन्नति लाइन के किसी उच्च पद में पदोन्नति होने के उपरान्त उपर्युक्त परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि उसने पहले ही इससे निचले राजपत्रित पद पर उक्त परीक्षा पास कर ली हो ।

(iii) सरकार, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से विशेष परिस्थितियों में और लिखित रूप में इसके कारण रिकार्ड कर के विभागीय परीक्षा नियमों के अनुसार व्यक्तियों को किसी भी श्रेणी में या वर्ग को विभागीय परीक्षा में पूर्ण अथवा आंशिक छूट दे सकती है ।

टिप्पणी :-

(i) तथा (ii) श्रेणी के पदों के भर्ती तथा पदोन्नति नियम बनाने सम्बन्धी प्रस्तावों में क्रमांक 17 में छूट की सक्ति जण्ड को क्रम संख्या 18 में विभागीय परीक्षा में निर्दिष्ट किया जाए ।

एस0 एम0 कंवर,
कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।